



पुस्तकालय— २२०८७१९

2/29671D

नाम अंकतःग्रं कोड. 10 असांख्यक नम्बर लखनऊ-226009

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : एम०/०५/७६/एक/२०१५-१६

दिनांक: ८ अगस्त 2015

संक्षिप्त

प्रियाधिकारी / अध्यक्ष

जिला नामीय तिकास अभिकरण

उत्तरपाद-लक्ष्मान

दिसंबर 2015-16 में सड़ा द्वारा हड़ा को प्रेषित की गयी घनराशि की सुनना का प्रेषण।

संग्रहीत

महादय,
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आईएसडीपी योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अन्तरित की जा चुकी है।

घनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	घनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	6264000100003934	IFSC Code PUNB0626400	129.64

जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन से प्राप्त धनराशि के संपेक्ष वर्किंग कास्ट / लेबर सोस की धनराशि का प्रेषण		
			वर्किंग कास्ट	लेबर सोस	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
उन्नाथ / नवाबगंज	अनु० ३७ / ८३ पीएलए	144	125.07	4.57	129.640
योग			125.07	4.57	129.640

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय आईएचएसडीपी योजनान्तर्गत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतियों में वर्णित भद्रों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। परियोजना की ढीपीआर में स्वीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है, रखल पर उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त भद्र के अतिरिक्त अन्य किसी भद्र में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्यवर्तन अनुगम्य न होगा। आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा परियोजना को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि मार्च 2015 निर्धारित थी जो व्यतीत हो चुकी है। भारत सरकार को प्रस्तुत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को 10 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का काट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रस्तुत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व हूडा द्वारा एम०ओ०ग० कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न दिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:-

- हांगा:-

 - समर्त कार्य मूल्यवृद्धि की दीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण कराने होंगे।
 - दिसंभर 2015 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
 - इस मूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
 - उपलब्ध स्वीकृत धनराशि से समर्त निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।
 - निर्माणधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अंशदान संशोधित दरों पर हूडा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कायदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।



21/01/20

पुस्तक 2280709

2088710

नव चौहाना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

6. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार परियोजना की कलोजर रिपोर्ट अभिकरण मुख्यालय को दृढ़ा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
7. सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यूएलओ) को करना होगा और उक्त का प्रभाग पत्र सूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. परियोजना निदेशक, उ०प्र० सी० एण्ड डी०एस० नि० इमाई सूडा-उन्नाव।
3. परियोजना अधिकारी-सूडा
4. कम्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक